भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड IV में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

सं. 310–3(1)/2003–इको. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 (1) (बी) (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में आगे निम्नानुसार संशोधन करता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(i) यह आदेश "दूरसंचार टैरिफ (इकतालीसवां संशोधन) आदेश, 2005 (2005 का 9)" कहा जाएगा।

(ii) यह आदेश, इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची X में कॉलम '(1) कार्यान्वित किए जाने की तारीख' के सामने "अलग से अधिसूचित की जाने की तारीख से" शब्दों के स्थान पर "29.11.2005" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. **सामान्य**

इस आदेश के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

इस आदेश के अनुलग्नक 'क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है, जिसमें दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में यह संशोधन करने के कारण स्पष्ट किए गए हैं।

आदेशानुसार

(एम कन्नन)

सलाहकार (आर्थिक)

नोट :

1. 08.09.2005 की अधिसूचना सं. 310–3(1)/2003–इको के माध्यम से दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में अनुसूची X जोड़ी गई थी।

2. 16.09.2005 की अधिसूचना सं. 310–3(1)/2003–इको के माध्यम से कॉलम '(1) कार्यान्वित किए जाने की तारीख' के सामने '16.09.2005' अंकों के स्थान पर "अलग से अधिसूचित की जाने की तारीख से" शब्द प्रतिस्थापित किए गए थे।

अनुलग्नक 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्राधिकरण ने 8 सितम्बर, 2005 को दूरसंचार टैरिफ आदेश (उन्तालीसवां संशोधन) अधिसूचित किया था। मैसर्स विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस टैरिफ आदेश को अपील सं. 10/2005 के माध्यम से 12 सितम्बर, 2005 को भारतीय दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपील अधिकरण (टीडीसैट) में चुनौती दी।

2. टीडीसैट में उक्त अपील की सुनवाई 14 सितम्बर, 2005 को हुई। अधिकरण ने 14.09.2005 के अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादित अधिसूचना को तब तक आस्थगित रखा जाए जब तक अधिकरण द्वारा इस मामले में निर्णय नहीं दे दिया जाता और इस कारण प्राधिकरण ने टीटीओ, 1999 में चालीसवें संशोधन के रूप में दूसरा टैरिफ आदेश अधिसूचित किया।

3. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद माननीय टीडीसैट ने अपने दिनांक 28.11.2005 के आदेश में वीएसएनएल द्वारा दायर अपील निरस्त कर दी है और यह निदेश दिया है कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना को तत्काल प्रभावी किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ में और विलंब न हो। अतः ट्राई द्वारा 08.09.2005 को टीटीओ में किए गए उन्तालीसवें संशोधन के माध्यम से विनिर्दिष्ट आईपीएलसी से संबंधित टैरिफ आदेश को लागू करने के लिए यह आदेश जारी किया जा रहा है। ये टैरिफ 29.11.2005 से प्रभावी होंगे।